न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 62 / 2025	2025 / 201	02.04.2025	18.06.2025

1–राजेश पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–सतीश पुत्र जयनारायण,
2–बिमला पत्नी जयनारायण जाति जाट निवासी ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री योगेन्द्र चौधरी –वकील प्रार्थी
02. श्री धीरसिंह चौधरी –वकील अप्रार्थी–1 व 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 007 / 2023 सतीश वगै0 बनाम जलेसिंह को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष बअनुवानी पत्रावली संख्या 007 / 2023 सतीश वगै0 बनाम जलेसिंह विचाराधीन जिसमे सुनवाई की तारीख पेशी दिनाक 01.04.2025 थी, प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य आराजी के बाबत पूर्व से ही मौखिक तौर पर विभाजन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने आज प्रातः ही धमकी दी है, कि उनकी अफसर पटवारी हल्का से सैटिग हो गयी है, और वो प्रार्थना पत्र को स्वीकार कराकर रास्ता कायम करायेगे। पैशीयॉ नजदीक–नजदीक की लगाायी जा रही है। प्रार्थी को तहत अदालत से सही न्याय की उम्मीद नही है। इस लिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 007 / 2023 सतीश वगै0 बनाम जलेसिंह की पत्रावली को किसी भी दिगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत के समक्ष वादी / अप्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर अप्रार्थी की आराजी खसरा न0 1218 / 49 वाके ग्राम जाटूवास में से आवागमन हेतु रास्ता दिलाये जाने हेतु दिनाक 13.07.2023 को पेश किया गया है, जो विचाराधीन है, विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा शिघ्र निस्तारण का प्रयास हेतु छोटी–तारीख पेशीया नियत की जाकर विधिवत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कोरी कल्पनाओ के आधार पर अंकित किये गये है, तथा प्रार्थी के उक्त अभिवचनो से साफ दर्शित है, कि वह प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है तथा प्रकरण में किसी प्रकार से कोई निस्तारण नही होने देना चाह रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत से बिन्दूवार जवाब प्राप्त किया गया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने जर्ये पत्राक 199 दिनाक 02.05.2025 के द्वारा प्रार्थना में वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुऐ बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है, जो शामिल मिशल किया गया।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन पत्रावली संख्या 007/2023 सतीश वगै0 बनाम जलेसिंह अन्तर्गत धारा 251 ए को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का श्घ्रि निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी-तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है। विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)